तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर कोटड़ी (भीलवाड़ा) हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्र०सं० 35/2017 धारा 54 ज्ञानसिंह वगैरह बनाम जगदीश वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/05/17	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में राजीनामा होने राजीनामा अनुसार ग्राम बडला प०ह० सेलगुड़ा तह०अ०नि० चित्तौड़ा तहसील जिला - भीलवाड़ा की आ०सं० 1462 रकबा 01 बीघा 7 बिस्वा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नामदर्ज फुरक्ती कर आ०सं. 1462 रकबा 01 बीघा 7 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आ०नं. 1461 रकबा 01 बीघा 4 बिस्वा से वादी का नाम हटाकर फुरक्त कर प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख में जमा हो। उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर कोटड़ी	राजीनामा अनुसार हम सहमत हैं। [illegible] नारायणसिंह (गवाह) नारायणसिंह/भगवानसिंह Bhawani Singh [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:41:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 35/2019 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1. भॅवरसिंह पिता राजसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी बड्डू तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. जयसिंह पिता गुमानसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी बड्डू तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा ।

—— प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री ए0आर0 पठान , एडवोकेट और प्रतिवादी स्वयं एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 23.05.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर राजीनामा अनुसार डिक्री की जाती है कि –
ग्राम बड्डू पटवार हल्का सेहणुन्दा भू0अ0निरीक्षक चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आ0सं0 1462 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा के राजस्व रेकार्ड़ में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम इन्द्राज दुरस्ती कर आ0सं0 1462 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आ0नं0 1461 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा से वादी का नाम इन्द्राज दुरस्त कर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करेगें।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:41:44 IST
Reason: SelfAttested